**दिनांक 10 एवं 11 अगस्त, 2017 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा / डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।**

**सूडा के पत्रांक– 1677 / 110 / तीन / 97–VII दिनांक 02–08–2017,** द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 10 एवं 11 अगस्त, 2017 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारियों के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओ– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) तथा अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् है :–

समीक्षा बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व परियोजना अधिकारी / सहा0परि0अधिकारी के बैठक में विलम्ब से आने पर रोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि आगामी बैठकों में सभी परियोजना अधिकारी निर्धारित समय से बैठक में उपस्थित हों। विलम्ब से आने वाले परियोजना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

## दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना –राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत माह जुलाई, 2017 की समीक्षा में सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत SHG गठन की प्रगति 33 शहरों यथा रामपुर, हाथरस, चित्रकूट, उन्नाव, कासगंज, अलीगढ़, गाजियाबाद, मोदीनगर (गाजियाबाद), लोनी (गाजियाबाद), मुजफ्फरनगर, मेरठ, फर्रुखाबाद, अकबरपुर (कानपुर देहात), झांसी, बरेली, इटावा, बदायूँ, अमरोहा, कानुपर नगर, शाहजहाँपुर, कन्नौज, वाराणसी, गोरखपुर, चन्दौली, राबर्टसगंज (सोनभद्र), मुरादाबाद, आजमगढ़, प्रतापगढ़, मऊ, हरदोई, मुगलसराय (चन्दौली), लखनऊ एवं इलाहाबाद की अपेक्षित प्रगति 25 प्रतिशत से कम पाये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त किया गया।

उक्त शहरों के परियोजना अधिकारी / शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 04 माहों का तदानुसार लक्ष्य पूर्ण किये जाने के विगत माह की समीक्षा बैठक में दिये गये आश्वासन के उपरान्त अपेक्षित प्रगति नहीं किये जाने की स्थिति को गम्भीरता से लेते हुए निर्देशित किया गया कि सभी शहर आगामी माह की समीक्षा बैठक में अगस्त माह तक के लक्ष्य को प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

SM&ID घटक के अन्तर्गत SHG को RF के अन्तर्गत अवमुक्त की गई धनराशि की समीक्षा में पाया गया कि जनपद बागपत, बड़ौत (बागपत), इटावा, मोदीनगर (गाजियाबाद), उरई (जालौन), अकबरपुर (कानपुर देहात), कासगंज, मथुरा, मेरठ, रामपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, अमेठी, बरेली, बहराइच, बिजनौर, फैजाबाद, गाजीपुर, हरदोई, पड़रौना (कुशीनगर), मऊ एवं भिन्गा (श्रावस्ती) में घटक के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता होते हुए भी RF अवमुक्त नहीं किया गया है जिस पर गहरी अप्रसन्ता व्यक्त की गयी है। साथ ही निर्देश दिये जाते है कि तत्काल प्रभाव से इस माह के अन्त तक सभी अर्ह 03 माह के क्रियाशील SHG को RF अवमुक्त कर दिया जाय।

समीक्षा में पाया गया कि 16 शहरों यथा इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कासगंज, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, सीतापुर, नवाबगंज (बाराबंकी), मुगलसराय (चन्दौली), हापुड़, हरदोई, पड़रौना (कुशीनगर), मऊ, बरेली एवं भिन्गा (श्रावस्ती) में SHG गठित होने के उपरान्त भी अभी तक क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन्स (ALF) का गठन नही किया गया है जिसको गम्भीरता से लेते हुए कड़े निर्देश दिये गये कि सभी शहर संदर्भ संस्थाओं के माध्यम से तेजी से कार्य करते हुए प्रत्येक दशा में अगस्त माह तक ALF का पंजीकरण कराकर रिर्पोट करें।

ALF को स्वच्छता एक्सीलेन्स अवार्ड की गाइडलाइन सूडा उ0प्र0 के वेबसाइट पर अपलोड है जिससे अध्ययन कर ALF को नामांकित किये जाने हेतु युद्ध स्तर पर तैयारी किये जाने के निर्देश दिये गये साथ ही निर्देशित किया गया कि नामांकन हेतु अर्ह ALF की सूचना एस0एम0एम0यू0 सूडा को उपलब्ध करायी जाय।

उक्त के साथ ही इस घटक के अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन कराये, SHG सदस्यों के बैंक में बचत खाता खुलवायें तथा बचत खाते प्रधानमंत्री जनधन योजनान्तर्गत भी खुलवाकर रिपोर्ट करें।

गठित SHG के सभी सदस्यों की तत्काल प्रशिक्षण पूर्ण कराने के साथ ही समन्वयन के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनश्री बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं माइक्रोफाइन्नेंस का लाभ भी इस घटक एवं DAY-NULM के लाभार्थियों को दिलवाना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) की प्रगति बेहतर करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया कि CLC को आत्मनिर्भर बनने में संचालन संस्था के साथ–साथ PO भी अहम भूमिका निभाएं, जिसके दृष्टिगत आवश्यक है कि सभी PO's जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–374/2016/771/69–1–2016–14(56)/2016 दिनांक 20.05.2016 के अनुक्रम में विभिन्न विभागों से समन्यन कर कार्य हेतु पत्र निर्गत कराकर CLC को कार्य दिलाकर शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य करें।

CLC के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु तहसील दिवस में बैनर एवं शहरों में होर्डिंग्स के माध्यम से भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय साथ ही विभिन्न प्रकार की बैठकों एवं अन्य आयोजनों का भी व्यापक चर्चा कर प्रचार प्रसार किया जाय। मुख्यालय स्तर पर संचालित टोल फ्री नं0 1800 1800 155 का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। CLC को आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, मॉल, बिजनेस हाउस एवं अन्य इण्डस्ट्रीज से सम्पर्क कर कार्य लेकर CLC में पंजीकृत कामगारों के माध्यम से कराकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाये।

**मेरठ, कन्नौज, शाहजहॉपुर, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, हरदोई, बस्ती एवं हापुड़ शहरों** में CLC स्वीकृत के एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक संचालित न किये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए तत्काल अगस्त माह में संचालन प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के साथ ही घटक के अन्तर्गत लक्ष्य पूर्ण हेतु निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने की रणनीति बनाते हुए लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने हेतु तेजी से युद्ध स्तर पर कार्य किया जाये तथा **"मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता के दृष्टिगत घटक के सभी गतिविधियों में तदानुसार अगस्त माह के लक्ष्यों को सम्मिलित कर प्रगति सुनिश्चित की जाये।"**
2. सन्दर्भ संस्थाओं के लम्बित भुगतान अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित समय सीमा में न किये जाने की स्थित पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुबन्ध के अनुसार तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिये गये।

**महत्वपूर्ण निर्देशः–**

दिनांक 10.08.2017 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार में ALF को स्वच्छता एवार्ड एवं DAY-NULM की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में भारत सरकार द्वारा दिये गये निम्नवत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गयेः–

1. ALF को स्वच्छता एक्सीलेन्स आवार्ड हेतु सूडा वेबसाइट से गाइडलाइन को डाएनलोड कर विस्तृत अध्ययन कर ALF को नामांकित किये जाने की युद्ध स्तर पर तैयारी की जाये तथा नामांकन किये जाने वाले ALF के संबंध में पूर्ण सूचना एस0एम0एम0यू0 सूडा को तत्काल उपलब्ध करायी जाय।
2. जनपदों/शहरों को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष लम्बित भुगतान तत्काल करके यू0सी0 उपलब्ध कराया जाय।
3. DAY-NULM के सभी लाभार्थियों की आधार फीडिंग करायी जाये तथा लाभार्थी चयन में आधार को अनिवार्य किया जाय। जिन लाभार्थियों के आधार न हो उनके आधार बनवाने के बाद ही योजा से लाभान्वित किया जाय।

4. प्रगति की शत–प्रतिशत फीडिंग वेबपोर्टल पर की जाय क्योंकि अगस्त, 2017 की प्रगति MPR के माध्यम से स्वीकार नही की जायेगी तथा 05 सितम्बर, 2017 को MIS से प्रगति निकालकर GOI को भेजी जायेगी क्योंकि GOI द्वारा MPR आगामी माहों से स्वीकार करने से मना कर दिया गया है।
5. शहरों द्वारा सभी भुगतान PFMS में पंजीकरण के उपरान्त RTGS द्वारा ही किये जाय।
6. नगरीय निकायों द्वारा संचालित शेल्टर होम के अपेक्षित विवरण MIS पर अपलोड हेतु सूचना एस0एम0एम0यू0 सूडा को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

**SUH-** वर्ष 2014–15 में स्वीकृत आश्रय गृहों में अभी तक कानपुर के 03 तथा लखनऊ के 02 आश्रय ही क्रियाशील हो पाये हैं जबकि उपलब्ध विवरणानुसार 21 आश्रय गृहों की भौतिक प्रगति शत प्रतिशत हो गई है। इन्हें एक माह में कार्यशील कराया जाय। ये आश्रय गृह इन नगरों में स्थित हैः– कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, मथुरा, मऊ, खुर्जा (बुलन्दशहर), रायबरेली, उन्नाव, मैनपुरी, गोण्डा, महोबा, महाराजगंज, मेरठ, रामपुर। जिन आश्रयों में निर्माण कार्य 75% तक पूर्ण है उन्हें अगस्त, 2017 तक पूर्ण कर शीघ्र कार्यशील किया जाय और प्रबन्धन और अनुरक्षण के लिए धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। जिन आश्रय गृहों का निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है, वहॉ उपलब्ध कराई गई धनराशि वापस प्राप्त की जाय ताकि निर्माणाधीन अन्य आश्रयों में उसका उपयोग हो सके।

जिन आश्रयों के निर्माण के संबंध में मा0 न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त है, उनमें प्रभावी पैरवी कर स्थगन आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जाय।

जनपदों के नगरीय निकायों में बेघर व्यक्तियों के सर्वेक्षण के संबंध में निर्देश जारी किये गये है, शहरी बेघरों की गणना और सर्वेक्षण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय।

**EST&P-** दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के अन्तर्गत सभी शहरों में प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन की स्थिति को देखते हुए निम्नवत् निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गयाः–

| क्र. सं. | प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन की स्थिति | शहरों के नाम | निर्देश |
|---|---|---|---|
| 1. | 50% से कम और 40% से अधिक | अलीगढ़, अमरोहा, उन्नाव, बुलन्दशहर, मथुरा, रामपुर, लोनी (गाजियाबाद), बड़ौत (बागपत), गाजियाबाद, खुर्जा (बुलन्दशहर), सुलतानपुर, देवरिया, बलरामपुर, चन्दौली, बिजनौर, रायबरेली, बलिया। | इन शहरों को निर्देशित किया गया कि संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए रोजगार मेलों का आयोजन कराकर माह अगस्त, 2017 के अन्त तक न्यूनतम 50% सेवायोजन कराकर एम0आई0एस0 पर अपलोड करें जोकि माह अगस्त, 2017 की मासिक समीक्षा में अनिवार्य रुप से परिलक्षित हो। |
| 2. | 40% से कम | उरई (जालौन), फिरोजाबाद, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), कासगंज, राबर्टसगंज (सोनभद्र), गोरखपुर, मऊ, मंझनपुर (कौशाम्बी), मुरादाबाद, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (सन्तकबीर नगर), ज्ञानपुर (भदोही), हरदोई, बस्ती, आजमगढ़ | इन शहरों को सख्त निर्देश दिये गये कि संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए रोजगार मेलों का आयोजन कराकर माह अगस्त, 2017 के अन्त तक न्यूनतम 50% सेवायोजन कराकर एम0आई0एस0 पर अपलोड करें जोकि माह अगस्त, 2017 की मासिक समीक्षा में अनिवार्य रुप से परिलक्षित हो अन्यथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न होने की दशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी।<br>• आजमगढ़, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) एवं कासगंज को निर्देशित किया गया कि संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए माह अगस्त, 2017 के अन्त तक न्यूनतम 50% सेवायोजन |

| क्र. सं. | प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन की स्थिति | शहरों के नाम | निर्देश |
|---|---|---|---|
| | | | कराकर एम0आई0एस0 पर अपलोड करायें अन्यथा उक्त शहरों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। |

मासिक समीक्षा बैठक में सभी शहरों को निर्देशित किया गया कि कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा MIS में सेवायोजन का विवरण (प्लेसमेन्ट लेटर) अपलोड किये जाने से पहले संबंधित शहर के सी0एम0एम0यू0/डूडा कार्यालय को सेवायोजन का विवरण (प्लेसमेन्ट लेटर) की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा शत–प्रतिशत सेवायोजन के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये तथा पी0ओ0/ए0पी0ओ0 द्वारा भी 15–20 प्रतिशत सेवायोजित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये। सत्यापन के लाभार्थियों का समस्त विवरण रजिस्ट्रर पर अंकित किया जाये तथा जिस अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाये उसके हस्ताक्षर भी रजिस्ट्रर पर किये जाये। तत्पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये।

**EST&P के अन्तर्गत असेसिंग बॉडीस को ससमय भुगतान न होने की निरन्तर मेल और शिकायतें प्राप्त हो रही है। पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है कि असेसिंग बॉडी को भुगतान करने के पश्चात ही कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को द्वितीय किश्त जारी की जाय। अतः सभी शहरों को निर्देशित किया गया कि असेसिंग बॉडी को ससमय (बिल प्राप्त होने के 06 दिनों के अन्दर) भुगतान सुनिश्चित किया जाय। रामपुर और फर्रुखाबाद को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में सभी असेसिंग बॉडीस को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

**SUSV-** दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत चयनित सभी शहरों में सर्वे पूर्ण करने, सर्वे प्रारम्भ करने एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार करने हेतु निम्नवत् निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया:–

| क्र. सं. | शहर का नाम | सर्वे | | अनुमोदन बैठक की तिथि | प्लान | | निर्देश/अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सर्वे की स्थिति | सर्वेक्षित पथ विक्रेता | | प्लान उपलब्ध कराने का समय | अब तक कितना समय हो गया | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | सहारनपुर | पूर्ण | 8124 | 21.05.15 | 6 माह | 26 माह | शहरी पथ विक्रेता प्लान प्राप्त। |
| 2 | मेरठ | पूर्ण | 18250 | 30.06.15 | 6 माह | 25 माह | इन सभी शहरों को निर्देशित किया गया कि टाउन वेडिंग कमेटी एवं नगरीय निकाय से शहरी पथ विक्रेता प्लान को अनुमोदित कराते हुए 31.08.2017 तक अनिवार्य रुप से शहर पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृत समिति से अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराये। |
| 3 | वाराणसी | पूर्ण | 24472 | 21.08.15 | 6 माह | 23 माह | |
| 4 | फिरोजाबाद | पूर्ण | 10000 | 21.08.15 | 6 माह | 23 माह | |
| 5 | मुजफ्फरनगर | पूर्ण | 4450 | 21.08.15 | 6 माह | 23 माह | |
| 6 | लखनऊ | पूर्ण | 45260 | 21.08.15 | 6 माह | 23 माह | |
| 7 | कानपुर | पूर्ण | 14494 | 21.08.15 | 6 माह | 23 माह | |
| 8 | अलीगढ़ | पूर्ण | 3401 | 01.12.15 | 6 माह | 20 माह | |
| 9 | गोरखपुर | पूर्ण | 7757 | 01.12.15 | 6 माह | 20 माह | |
| 10 | इलाहाबाद | पूर्ण | 12800 | 01.12.15 | 6 माह | 20 माह | |
| 11 | गाजियाबाद | पूर्ण | 23262 | 01.12.15 | 6 माह | 20 माह | |
| 12 | मुरादाबाद | पूर्ण | 8750 | 01.12.15 | 6 माह | 20 माह | |
| 13 | झांसी | पूर्ण | 7638 | 01.12.15 | 6 माह | 20 माह | |
| 14 | आगरा | पूर्ण | 23650 | 02.02.16 | 6 माह | 18 माह | |
| 1 | बरेली | सर्वे | 6200 | 18.11.16 | 6 माह | 8 माह | इन सभी शहरों को अवगत कराया |

| क्र. सं. | शहर का नाम . | सर्वे | | अनुमोदन बैठक की तिथि | प्लान | | निर्देश / अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सर्वे की स्थिति | सर्वेक्षित पथ विक्रेता | | प्लान उपलब्ध कराने का समय | अब तक कितना समय हो गया | |
| 3 | मथुरा | | 6500 | 18.11.16 | 6 माह | 8 माह | प्लान तैयार करने का निविदा के अनुसार अधिकतम समय छः माह है और अभी तक इन शहरों में सर्वे पूर्ण नही हुआ है। अतः इन शहरों को निर्देशित किया गया कि एक माह में सर्वे पूर्ण कराते हुए शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करें। |
| 4 | जौनपुर | | सर्वेक्षित वेण्डर्स की संख्या अप्राप्त | 18.11.16 | 6 माह | 8 माह | |
| 5 | लोनी | | 3200 | 18.11.16 | 6 माह | 8 माह | |
| 6 | बुलन्दशहर | | 455 | 18.11.16 | 6 माह | 8 माह | |
| 7 | उन्नाव | | 4800 | 18.11.16 | 6 माह | 8 माह | |
| 8 | हापुड़ | | 500 | 12.06.17 | 6 माह | 2 माह | |
| 9 | शांहजहांपुर | सर्वे प्रारम्भ की सूचना अप्राप्त | | 12.06.17 | 6 माह | 2 माह | इन सभी शहरों को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रुप से सर्वे प्रारम्भ करायें, जिसकी सूचना एस0यू0एल0एम0 को उपलब्ध करायी जाय। अन्यथा सर्वे प्रारम्भ नही होने की दशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी। |
| 10 | सम्भल | | | 12.06.17 | 6 माह | 2 माह | |
| 11 | मिर्जापुर | | | 12.06.17 | 6 माह | 2 माह | |
| 12 | फैजाबाद | | | 12.06.17 | 6 माह | 2 माह | |
| 13 | अमरोहा | | | 12.06.17 | 6 माह | 2 माह | |
| 14 | हरदोई | | | 12.06.17 | 6 माह | 2 माह | |
| 15 | फतेहपुर | | | 12.06.17 | 6 माह | 2 माह | |
| 16 | उरई | | | 12.06.17 | 6 माह | 2 माह | |

उक्त सभी शहरों को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नम्बर अवश्य लिया जाय। जिनके पास आधार कार्ड नही है, उनके आधार कार्ड बनवाने मे सहायता की जाय और आधार कार्ड संख्या अवश्य अंकित की जाय। नगर पथ विक्रय समिति के माध्यम से उन्हें परिचय पत्र, पथ विक्रय प्रमाण पत्र आदि भी जारी करवाने की कार्यवाही की जाय। सिटी स्ट्रीट वेंडिग प्लान योजना प्राधिकारी (विकास प्राधिकरण आदि) के परामर्श और टाउन वेडिंग कमेटी की सिफारिश पर नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। इसे पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) अधिनियम 2014, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) नियमावली 2017, उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार की जायेगी।

**SEP** - दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत सभी शहरों द्वारा व्यक्तिगत एवं समूह में ऋण उपलब्ध कराये जाने की प्रगति संतोषजनक नहीं है। SEP(I) के अन्तर्गत भौतिक प्रगति जनपद यथा कानपुर देहात, सम्भल (चन्दौसी), सम्भल, मुजफ्फरनगर, औरैया, आगरा, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, सन्तकबीर नगर, महाराजगंज, चन्दौली, भदोही (ज्ञानपुर), अमेठी, गोण्डा, प्रतापगढ़ एवं वाराणसी द्वारा प्रथम तिमाही में निर्धारित लक्ष्यों को शत–प्रतिशत प्राप्त किया गया है, शेष जनपदों द्वारा लक्ष्य की पूर्ति नही की गयी है। जनपद यथा मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर (खुर्जा), जालौन, चित्रकूट, बदायूँ, हाथरस, उन्नाव, शिकोहाबाद, लोनी, अलीगढ़, अमरोहा, झांसी, मथुरा, कानपुर नगर, रामपुर, एटा, सीतापुर, महोबा, गौतमबुद्ध नगर, बरेली, कन्नौज एवं हमीरपुर द्वारा निर्धारित मानक के सापेक्ष या तो प्रगति शून्य है या तो बहुत ही निम्न है। इन जनपदों द्वारा समीक्षा बैठक में आश्वासन दिया गया है कि 31 अगस्त, 2017 तक निर्धारित लक्ष्य एवं अगस्त माह तक का निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा। साथ ही विशेष रुप से इलाहाबाद, कासगंज, शाहजहॉपुर एवं देवरिया की स्थिति अत्यन्त खराब है। इनको विशेष रुप से निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.09.2017 तक प्रत्येक दशा में लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

SEP(G) के अन्तर्गत जनपद यथा बांदा, औरैया, ललितपुर, पीलीभीत, चन्दौसी (सम्भल), दादरी (जी0बी0 नगर), फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सीतापुर, बदायूँ, बुलन्दशहर, सम्भल, इटावा, सहारनपुर, मेरठ, झांसी, फिरोज़ाबाद, आगरा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोण्डा, मिर्जापुर, जौनपुर, बहराइच, रायबरेली एवं मुरादाबाद द्वारा प्रथम तिमाही के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को शत–प्रतिशत प्राप्त किया गया है, शेष जनपदों/शहरों द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नही की गयी है। जनपद यथा अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बड़ौत (बागपत), बरेली, खुर्जा (बुलन्दशहर), चित्रकूट, एटा, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मोदीनगर (गाजियाबाद), लोनी (गाजियाबाद), हमीरपुर, हाथरस, उरई (जालौन), कन्नौज, अकबरपुर (कानपुर देहात), कासगंज, लखीमपुर खीरी, महोबा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शाहजहॉपुर, शामली, उन्नाव, इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, अमेठी, आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, ज्ञानपुर (भदोही), बिजनौर, चन्दौली, मुगलसराय (चन्दौली), देवरिया, फैजाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मऊ, प्रतापगढ़, सन्तकबीरनगर, श्रावस्ती, सोनभद्र, सुलतानपुर एवं वाराणसी की प्रगति प्रथम त्रैमास में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शून्य है, यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है। इनको विशेष रुप से निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.09.2017 तक प्रत्येक दशा में लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

SEP(Group Linkage) के अन्तर्गत समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जनपद यथा झांसी, मेरठ, चित्रकूट, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बुलन्दशहर, सम्भल, सहारनपुर, कानपुर नगर, हाथरस, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), लोनी (गाजियाबाद), लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, खुर्जा (बुलन्दशहर), मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, शामली, औरैया, बरेली, मथुरा, एटा, कासगंज, ललितपुर, उन्नाव, चन्दौसी (सम्भल), इटावा, इलाहाबाद, गोरखपुर, मिर्जापुर, लखनऊ, फतेहपुर, जौनपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, बहराइच, वाराणसी, गोण्डा, बलिया, बरेली, बिजनौर, बस्ती, नवाबगंज (बाराबंकी), महाराजगंज, राबर्टसगंज (सोनभद्र) जनपदों द्वारा कुछ प्रयास किया गया है। शेष जनपदों द्वारा इस घटक के अन्तर्गत कोई प्रयास नही किया गया है एवं उनकी प्रगति शून्य है। इस पर निदेशक महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया कि किसी भी जनपद की प्रगति 31.08.2017 तक शून्य नही होनी चाहिए। शून्य होने पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय तथा विभागीय कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाय।

SEP के तीनों उपघटकों के अन्तर्गत जिन जनपदों/शहरों की प्रगति मानक के अनुरुप नही है, उनको विशेष रुप से निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जाय। जिन जनपदों द्वारा समयबद्ध आश्वासन दिया गया है उनके द्वारा निर्धारित तिथियों तक लक्ष्य पूर्ण न करने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करके पत्रावली प्रस्तुत की जाय। यदि 31.08.2017 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नही की जायेगी तो नीचे से पांच सबसे खराब वाले जनपदों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पत्रावली प्रस्तुत की जायेगी।

**CB&T-** दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक क्षतमा संवर्धन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये है:–

- समीक्षा बैठक में जनपद यथा इलाहाबाद शहर की श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी, कासगंज शहर के श्री विजय सिंह गौतम, शहर मिशन प्रबन्धक एवं देवरिया शहर के श्री जितेन्द्र प्रताप त्रिपाठी, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा DAY-NULM के समस्त घटकों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने की स्थिति में इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है।

**MPR एवं MIS-** दिनांक 11 एवं 12 अगस्त को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया गया कि अभी भी अधिकांश शहरों की MPR एवं MIS में भिन्नता है, तथा MPR ससमय भी प्राप्त नहीं हो रही है एवं MIS भी निर्धारित समय में पूर्ण नहीं किया जाता है। उक्त के सन्दर्भ में अपर निदेशक महोदय द्वारा कड़े निर्देश दिये गये है कि माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में MPR उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही ससमय MIS की एंट्री भी पूरी कर लें। 05 तारीख के बाद MPR स्वीकार नहीं की जायेगी और न ही MIS की रिपोर्ट दोबारा निकाली जायेगी।

**बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना**

- बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत जनपद–आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे शीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा कम्पलीशन प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त जनपद वाराणसी के परियोजना अधिकारी को कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एन0 के प्रतिनिधि के साथ मुख्यालय स्तर पर बैठक कर परियोजनान्तर्गत आ रही समस्याओं का निराकरण कराने के निर्देश दिए गये।
- आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद–अमेठी, आजमगढ़, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, संतकबीरनगर, चन्दौली, इलाहाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का कम्पलीशन सार्टीफिकेट शीघ्र मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं में आवासों का आवंटन किया जा चुका है उनमें शीघ्र कब्जा दिलाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
- परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि बीएसयूपी/आईएचएसडीपी योजनान्तर्गत आवासों को पूर्ण कराते हुये प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रांश की यू0सी0 तत्काल मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद–देवरिया के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि यदि उनके यहॉ कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है तो धनराशि मुख्यालय को वापस करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत परियोजना अधिकारी जनपद कुशीनगर को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में यदि जनपद कुशीनगर (सेवरही) परियोजना में कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा तो धनराशि वापस कर दें।

**(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)**

**राजीव आवास योजना**

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में अगस्त, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये। परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। जनपद गोरखपुर के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि द्वितीय किश्त प्राप्ति हेतु शीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत यदि लाभार्थी नहीं मिल पा रहे हैं तो जनपद स्तरीय कमेटी की अनुमति लेकर धनराशि मुख्यालय को वापस कर दें।

**(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)**

**आसरा योजना**

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है केवल उन्हीं को पूर्ण किया जाये अनारम्भ आवासों का कार्य प्रारम्भ न किया जाये। अवस्थापना सुविधा की लम्बित डी0पी0आर0 पर भी शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- यदि किसी स्वीकृत परियोजना में किसी विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पा रहा है तो उसकी स्वीकृत धनराशि तत्काल मुख्यालय को वापस कर दें।

**(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)**

## मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत मुख्यालय को पूर्व में प्रेषित नयी डी0पी0आर0 वापस लेकर संशोधन करते हुये पुनः नये प्रस्ताव/डी0पी0आर0 प्रस्तुत करें।
- विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्धारित प्रारुप 42–I के प्रारुप ''क'' एवं ''ख'' पर गुणवत्ता/विशिष्टियॉ/उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना अवश्य उपलब्ध कराये जाने के निर्देश बैठक में दिये गये।

**(कार्यवाही–संबंधित डूडा)**

## ई–रिक्शा योजना

निर्देशित किया गया कि मोटर–बैटरी चालित ई–रिक्शा योजना मद में यदि धनराशि अवशेष पड़ी है तो उसे तत्काल मुख्यालय को वापस कर दिया जाये। अभिकरण मुख्यालय के पूर्व निर्गत पत्र संख्या–1705 दिनांक 04.08.17 के क्रम में पुनः निर्देशित किया गया कि सभी परियोजनाधिकारी ई–रिक्शा आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा निविदा पत्र के सापेक्ष निर्धारित मानक के अनुरूप जनपद में स्थापित चार्जिंग/सर्विस सेन्टर का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन आख्या तत्काल मुख्यालय को प्रेषित करें। आख्या में इन सेन्टर के कार्यशील होने/लाभार्थी के रिक्शों की मानक अनुसार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने/न कराने सम्बन्धी बिन्दु सुस्पष्ट रूप से उल्लिखित करें।

**(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)**

## सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

**(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)**

## अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेस्मेंट्स (USHA)

ऊषा, स्लम सर्वे के अन्तर्गत जनपदों– बहराइच, इटावा, हमीरपुर, कासगंज, मऊ, मुज्जफरनगर, रामपुर, श्रावस्ती को निर्देशित किया गया कि इस योजना हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र तत्काल प्रेषित करें एवं अनुपयोग की स्थिति में धनराशि अभिकरण मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें। इसमें पूर्व में ही अत्यधिक विलम्ब हो चुका है, अतः प्राथमिकता अपेक्षित है।

## स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जनपद– औरैया, बागपत, इटावा, कुशीनगर, मथुरा, मेरठ, मुज्जफरनगर, रामपुर, शाहजहॉपुर, शामली, सीतापुर, श्रावस्ती के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में लेखा मिलान कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि धनराशि व्यय नहीं हो पायी है तो उसे एक सप्ताह में मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि विगत वर्षों में संचालित योजनाऍ जो कि वर्तमान में बंद की जा चुकी हैं, के अन्तर्गत लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र व अप्रयुक्त धनराशि जिन जनपदों के पास अवशेष हैं वे माह अगस्त, 2017 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय से लेखा मिलान कराते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

**(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)**

## बैलेंस शीट/आडिट रिपोर्ट–

समीक्षा बैठक में वित्त नियन्त्रक, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद श्रावस्ती एवं गाजीपुर की वित्तीय वर्ष 2015–16 की बैलेंसशीट अभी तक मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। तत्क्रम में सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराते हुए बैलेंसशीट तैयार कराने के निर्देश दिए गये। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016–17 की बैलेंस शीट तैयार करने हेतु (03जनपदों– सीतापुर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद को छोड़कर) शेष सभी को निर्देश दिए गये कि विलम्बतम 25 सितम्बर, 2017 तक सभी परियोजना अधिकारी अपने जनपद की बैलेंसशीट तैयार कर मुख्यालय को प्रस्तुत करें। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित सी0ए0 को भी मुख्यालय पर बैठक आयोजित कर 29–अगस्त,2017 तक परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

## जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0) –

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत जनपद– आगरा, मेरठ, फतेहपुर, कुशीनगर, लखनऊ, एवं मऊ के परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये।

## प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास –

1– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत डाटा–प्रमाणीकरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी। तत्क्रम में निर्देशित किया गया कि जिन नगर निगमों/निकायों में डाटा प्रमाणीकरण का कार्य अनारम्भ/अपूर्ण है उन नगर निगमों में तत्काल कार्य प्रारम्भ/पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायें।

2– सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों की निकायों में डाटा प्रमाणीकरण का कार्य अभी प्रारम्भ नही हुआ है वे तीन दिवस के अन्दर सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/अधिशासी अधिकारी से सम्पर्क करते हुए विशेष कैम्प लगाकर कार्य प्रारम्भ करायें।

**3–** बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव नगर विकास/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के निर्देशानुसार प्रथम चरण में 1.00 लाख आवासों (बी.एल.सी.) की डी0पी0आर0 तैयार कर भारत सरकार से स्वीकृत करायी जानी है। अतः इस दिशा में त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**4–** बैठक में उपस्थित सभी कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे सभी सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों के नियमित सम्पर्क में रहते हुए अपने कार्यों की पूर्ण जानकारी प्रति दिन उनको नियमित रूप से उपलब्ध करायें।

**5–** समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि समस्त नगरीय निकायों में 31,अगस्त,2017 तक डाटा प्रमाणीकरण का कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कराते हुये प्लान ऑफ एक्शन तैयार कराना भी शीघ्र सुनिश्चित किया जाये।

**6–** सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन निकायों की डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुकी हैं वहॉ ग्राउण्डिंग का कार्य चरणबद्ध प्रकिया के अनुसार प्रारंभ किया जाये। यह भी निर्देश दिए गये कि ग्राउन्डिंग प्रारम्भ कराने से पूर्व लाभार्थी का सत्यापन अवश्य कर लिया जाये।

**उक्त के अतिरिक्त समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश भी दिए गये –**

(1) सभी जनपदों को निर्देश दिए गये कि जिन जनपदों में अभी तक ई–टेण्डरिंग के फार्म मुख्यालय को प्रेषित नहीं किए हैं वे एक सप्ताह में उक्त फार्म मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें जिससे कि डिजिटल सिग्नेचर तैयार कराने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

(2) सभी जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के खातों के संचालन हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत खातों का पंजीकरण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 25–08–2017 तक कराना सुनिश्चित करें।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 1986 /110/तीन/97 **Vol-VII** दिनांक– 25/08/2017

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –**

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक